



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092023-249073
CG-DL-E-30092023-249073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 552]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 696(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2006, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता: वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महानिदेशक	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-16/17 टिप्पणः इस पद के संचालन के लिए वेतन स्तर 16 या 17 का स्तर चयनित अधिकारी के स्तर पर निर्भर होगा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति पर: अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(क) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ता और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) जिनके पास विनियमनकारी निधियों के परिवर्तन, आर्थिक और दार्ष्टिक अपराधों का अन्वेषण और उससे संबंधित आमूचना का संग्रहण करने में आठ वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अठ्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--

[फा.सं. I-12014/19/2016-एनसीबी-II]

प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव,